XXX-Part– 21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक बि० सं० :– 3490

यह प्रमाणित किया जाता है कि भागीरथी शिक्षा एवं सेवा समिति,

समिति जो गली नं० एल० –5 मिश्रा भवन विनोबा नगर बिलासपुर तहसील बिलासपुर,

जिला बिलासपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 14/10/2005 को पंजीयित की गई है।

दिनांक चौदह माह अक्टूबर सन् 2005

(अजय चौबे)

समितियों के रजिस्ट्रार

सहायक पंजीयक समितियों बिलासपुर संभाग

कार्यालय सहायक पंजीयक फमर्स एवं संस्थाऐ बिलासपुर संभाग

विक्रांत भवन जरहाभाटा बिलासपुर (छ.ग.)

पत्र कमाक 4484/11 बिलासपुर दिनांक 07/03/12

प्रति

अध्यक्ष
भागीरथी शिक्षा एवं सेवा समिती
बिलासपूर (छ.ग.)

विषय :– संस्था का **working Not for profit** प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्

संदर्भ :– आपका पत्र कमाक 107 /भा.शि.से.समि/2012

यह प्रमाणित किया जाता है कि भागीरथी शिक्षा एवं सेवा समिति का पजीयन कमाक 3490 दिनांक 14/10/2005 है। जिसकी स्थापना छत्तीसगढ सोसायटी अधिनियम 1973 के कमाक 44 के अधीन किया गया है इस अधिनियम के तहत समिति का पंजीयन नॉट फॉर प्रोफीट (Not For Profit) ~~इसी~~ के आधर पर किया गया है ।

7/3/12

सहायक पजीयक
फर्म्स एवं संसीाये बिलासपूर संभाग
बिलासपूर दूरभाष कमाक 07752 220777

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by National Securities Depository Limited)

3rd Floor, Sapphire Chambers, Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045.

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is :

AABAB0572E

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filling the return of income, please contact :

ITO WARD 1(2) BILASPUR

Quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate **credit of taxes paid by you and faster processing of** return of income. Moreover, quoting PAN on all other communications with the department will help to improve taxpayer services.

We may inform that it is **mandatory to quote PAN** in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For further details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139 A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of **more than one PAN being allotted**, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as **possessing or using more than one PAN is against law** and may attract **penalty of upto Rs. 10,000/-.**

Any errors in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above and on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department

PKG ID:PRC/00510/08072010_04/ FFL

BPL / 88 / 505103002631355111 / 39113675

BHAGIRATHI SHIKSHAN AND SEWA SAMITI

BHAGIRATHI SHIKSHAN AND SEWA SAMITI
MISHRA BHAWAN
RAJKISHORE MISHRA
GALI NO L-5
VINOBA NAGAR
BILASPUR
CHHATISHGARH - 495001
TEL NO. : 91 - 9300492291

OTHER ADDRESS (ES)

BHAGIRATHI SHIKSHAN AND SEWA SAMITI

MISHRA BHAWAN
RAJKISHORE MISHRA
GALI NO L-5
VINOBA NAGAR
BILASPUR
CHHATISHGARH - 495001

(This being a computer-generated letter, no signatures are required)

PRI / PRC

जा/क्र/25/5/20/10/05

प्रारूप क्रमांक - १

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

(देखिये नियम-३)

१. समिति का नाम ...भागीरथी ग्रामीण शिक्षा एवं सेवा समिति... होगा।

२. समिति का कार्यालय ...गली नं. L-5 विनोबानगर... तहसील ...बिलासपुर...

३. जिला ...बिलासपुर (छत्तीसगढ़)... में स्थित होगा।

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1. युवाओं में मानसिक, चारित्रिक, एवं शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना
2. गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य व्यवस्था व उत्थान में प्रयास करना

४. समिति के प्रबंध विनिमयों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध *शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका का उल्लेख निम्नांकित है :-

क्र.	नाम	पिता/ पति का नाम	पूरा पता	उपजीविका
1.	श्री राजेश मिश्रा (अध्यक्ष)	श्री राजकिशोर मिश्रा	~~गली नं. L-5 विनोबानगर~~ मारुति ढाबा के पास बलौदा	व्यवसाय (कान्ट्रेक्टर)
2.	श्री आर. के. मिश्रा (उपाध्यक्ष)	स्व. बद्रीनारायण मिश्रा	गली नं. L-5 विनोबानगर मारुति ढाबा रोड बलौदा	नौकरी
3.	श्री अभिजीत भौमिक (सचिव)	श्री दीलीप भौमिक	~~गायत्री मंदिर के पास विनोबानगर~~	नौकरी
4.	श्री डी. के. भौमिक (सहसचिव)	एस. एन. भौमिक	गायत्री मंदिर के पास विनोबानगर	व्यवसाय ([illegible])
5.	श्री मदन गुप्ता (सदस्य)	श्री एन. गुप्ता	माणिकपुर, कोरबा	व्यवसाय (रिटायर्ड)
6.	श्रीमती रंजना पांडे (कोषाध्यक्ष)	श्री आर. के. मिश्रा (पति) दीपक पान्डे	27 खोली विकासनगर	गृहणी
7.	मिर्जा फहीम बेग (सदस्य)	स्व. मिर्जा कलीम बेग	तारबहार बिलासपुर	व्यवसायी (प्रि. [illegible])

Ranjana Pandey

madan gupta

यह कार्यकारिणी पंजीयन हेतु प्रस्तुत ज्ञापन पत्र की प्रमाणित प्रति है

५ समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ क्रमांक ४४) की धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है,

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों के उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।

क्र.	अभिदाताओं के नाम	पिता/ पति का नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
१.	श्री राजेश मिश्रा	श्री राजकिशोर मिश्रा	मोती हलाल रोड बंगला ~~गली न. L-5 बिनोबानगर~~	Rajesh
२.	श्री आर.के. मिश्रा	स्व. बद्रीनारायण मिश्रा	गली न. L-5 बिनोबानगर	[signature]
३.	श्री अभिजीत मौमिक	श्री डी.के. मौमिक	~~गायत्री मंदिर, बिनोबानगर~~ मोती हलाल रोड	Abhomik
४.	श्री डी.के. मौमिक	स्व. एस.एन. मौमिक	गायत्री मंदिर बिनोबानगर	डी मौमिक
५.	मदन गुप्ता	[illegible] गुप्ता	[illegible] कोरबा	madan gupta
६.	श्री मिर्जा [illegible] बेग	मिर्जा [illegible] बेग	तारबहार बिलासपुर	मिर्जा
७.	श्रीमती रंजना पाण्डे	श्री राजकिशोर मिश्रा पति (दीपक पाण्डे)	२१ खोली बिनोबानगर	Ranjana Pandey
८.	श्रीमती अनुपमा [illegible]	श्री गोपाल अग्रवाल	बिनोबानगर बिलासपुर	Anupama
९.	श्रीमती मंजुला मौमिक	श्री डी. मौमिक	गायत्री मंदिर बिनोबानगर	मंजुला

* जो अनावश्यक हो उसे काट दीजिये।

साक्षी

प्रमाणित प्रति

सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, संभागीय कार्यालय बिलासपुर

शुल्क 320/- चालान क. 5053 दिनांक 21/10/25 द्वारा किया गया है। यह पंजीयन क्र. 8490 दिनांक 14/10/25 द्वारा पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है जारी होने का दिनांक........

हस्ताक्षर ...निर्मला पाण्डेय...

नाम ...श्रीमती निर्मला पाण्डे...

पूर्ण पता ...२१ खोली बिनोबानगर बिलासपुर (छ.ग.)...

प्रति,

समितियों के रजिस्ट्रार,

....

नियमावली

१. समिति का नाम ....भागीरथी ग्रामीण शिक्षा एवं सेवा समिति.... होगा।

२. संस्था का कार्यालय ....गली नं 8-5.... मोहल्ले का नाम ....विनोबानगर....

तहसील ....बिलासपुर.... जिला ....बिलासपुर.... छत्तीसगढ़ स्थित होगा।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र ....जांजगीर - चांपा व बिलासपुर (संभाग) जिला.... छत्तीसगढ़ होगा।

४. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

1. युवाओं में मानसिक, चारित्रिक एवं शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार

2. गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य व्यवस्था व उत्थान में प्रयास करना

५. **सदस्यता** :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) ***संरक्षण सदस्य*** - संस्था को दान के रूप रूपये ....15000/-.... या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) ***आजीवन सदस्य*** – जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये ....10000/-.... या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये ....5000/-.... या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है। 6000/-

(स) ***साधारण सदस्य*** – जो व्यक्ति रूपये ....500/-.... माह रूपये ....4000/-.... प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए वह चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छ: माह तक देय चन्दा नही देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुन: सदस्य बनाया जा सकता है।

Ranjana Pandey

madan Gupta

(द) ***सम्मानीय सदस्य*** – संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

६. **सदस्यता की प्राप्ति :–** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

७. **सदस्यों की योग्यता :–** संस्था का सदस्य बननें के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:–

(१) आयु १८ वर्ष से कम न हो
(२) भारतीय नागरिक हो
(३) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
(४) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

८. **सदस्यता की समाप्ति :–** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी :–
(१) मृत्यु हो जाने पर। (२) पागल हो जाने पर। (३) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम ५ में बताए अनुसार जमा न करने पर। (४) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। (५) चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

९. **संस्था कार्यालय में सदस्य पूंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–**

(१) प्रत्येक सदस्य का नाम, तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।
(२) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
(३) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
(४) सदस्यों के हस्ताक्षर।

१०. (अ) ***साधारण सभा :–*** साधारण सभा में नियम ५ में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी। परन्तु वर्ष में एक–एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह ....मार्च.... (March) होगा। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित् कर १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम ३/५ सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से ३ माह के अंदर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जायेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) ***प्रबंधकारिणी सभा :–*** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक के सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम १/२ सदस्यों को होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

Ranjana Pandey

madan Gupta

(स) ***विशेष :-*** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के २/३ सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से १४ दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

(११) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

(१२) प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम ५ (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(१) अध्यक्ष (२) उपाध्यक्ष (३) सचिव
(४) कोषाध्यक्ष (५) संयुक्त सचिव एवं सदस्य २

(१३) प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(१४) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णत: परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौपे जांए।
(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं कर सकते।

(१५) अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारणय सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

Ranjana Pandey
Madan Gupta

(१६) **उपाध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(१७) **सचिव (मंत्री) के अधिकार :–**

(१) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(२) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख्य प्रस्तुत करना।

(३) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(४) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये ....5000/-.... करने का अधिकार होगा।

(१८) **सं. सचिव के अधिकार :–** सचिव के अनुपस्थिति में सं. सचिव कार्य करेंगे।

(१९) **कोषाध्यक्ष के अधिकार :–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(२०) **बैंक खाता :–** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये ......1000/-...... रहेंगे।

(२१) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–** अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक ग्राम सभा होने के दिनांक से ४५ दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची शुल्क सहित फाइल की जावेगी। तथा धारा २८ के अन्तर्गत प्रति वर्ष ३१ जुलाई तक संस्था की परीक्षित लेखा शुल्क सहित भेजेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

(२२) **संशोधन :–** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के २/३ मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव नियत शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

(२३) **विघटन :–** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के ३/५ मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(२४) **सम्पत्ति :–** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी। एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

Ranjana Pandey   Madan Gupta

(२५) **बैंक खाता :–** संस्था की समस्त निधी किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में डाला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(२६) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :–** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(२७) **विवाद :–** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो व रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधन समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(२८) **अर्थदण्ड निष्कासन :–**

(क) जो सदस्य वार्षिक चन्दे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर चन्दे की रकम अदा करने पर ३० प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करनी पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मासिक चन्दे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह के अन्दर २५ प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा।

(ग) वार्षिक या मासिक चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छ: माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चन्दा नहीं दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात लगातार छ: माह तक चन्दा नहीं देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य का नाम काटने की निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(ड़) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर यह संतोष हो जाए की कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरित कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के सम्पत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में सदस्य को सदस्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन पंचमांश के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

प्रमाणित प्रति
... 320 चालान क्र. 5053
दिनांक 17/10/05 द्वारा किया गया है यह
पंजीयन क्र. 3490 दिनांक 14/10/85
... पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज
की प्रमाणित प्रति है ...
दिनांक......

◆ ◆ ◆